संख्या- 15 / 2021 /1908 / चार-2020

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 08 फरवरी, 2021

विषय:- 58- आउट सोर्सिंग मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धन आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2859/सं0नि0-1(5)/2020, दिनांक 20 नवम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 58- आउट सोर्सिंग मद में धनराशि रू0 13.00 लाख (रूपये तेरह लाख मात्र) की धनराशि की संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रशासकीय विभाग समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3- बचत की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-16-कल्चरल क्लब की स्थापना-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-001 निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-58-आउटसोर्सिग सेवाओ हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 , दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या- 15 /2021 / 1908 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)
पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग-संस्कृति निदेशालय, लखनऊ   वित्तीय वर्ष 2020-21   प्रपत्र बी0एम0-09(भाग-1)

(धनराशि लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
2205-कला एवं संस्कृति- 800-अन्य व्यय- 16-कल्चरल क्लब की स्थापना- 42-अन्य व्यय	100.00	100.00	13.00	13.00	87.00
योग	100.00	100.00	13.00	13.00	87.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 001 निदेशन एवं प्रशासन- 03-संस्कृति निदेशालय- 58-आउटसोर्सिग सेवाओ हेतु भुगतान	5.00	18.00	13.00	13.00	18.00
योग	5.00	18.00	13.00	13.00	18.00

(1) स्तम्भ -3 में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार- वास्तविक व्यय के कारण।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उपलंघन नहीं होता है।

संख्या- **आर-ई-298 /ई-7-/दस-2020**
दिनांक 28 जनवरी, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश , प्रयागराज।

शिशिर
विशेष सचिव।
संस्कृति विभाग

राजेन्द्र राम
अनु सचिव।
वित्त विभाग

संख्या- 15 / 2021 / 1908 (1)/चार-2020 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ ।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in